⇒ भारत के संविधान की प्रस्तावना एवं उसमें निहित मुख्य सिद्धांत :

⇒ Preamble of the Indian Constitution and the principles embodied in it:

"हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न, समाजवादी, ~~धर्मनिरपेक्ष~~ पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा ~~राष्ट्र की~~ और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

ऊपर लिखे हुए वाक्य हमारे संविधान की प्रस्तावना हैं और इसमें कुछ प्रमुख शब्द संविधान के आदर्शों एवं लक्ष्यों के संकेतक हैं। प्रत्येक देश के संविधान की एक प्रस्तावना (Preamble) होती है जिसमें उस देश के संविधान के आदर्शों की झांकी मिलती है। प्रस्तावना संविधान की संपूर्ण कुंजी होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उन आदर्शों एवं लक्ष्यों की कुंजी शानदार घोषणा है, जिन्हें भारतीय जनता ने अपने सामने रखा है और जिन्हें वह उस राजनीतिक ढ़ाँचे के द्वारा प्राप्त करना चाहती है, जिसे उसने अपने लिए बनाया है। संविधान का अंग न होते हुए भी यह शासन के लिए महत्वपूर्ण है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कई सिद्धांत निहित हैं जो इस प्रकार हैं :

1. जनता की संप्रभुता (Sovereignty of People) - प्रस्तावना द्वारा जनता की संप्रभुता स्थापित की गई है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ और जनता ही समस्त राजनीतिक सत्ता का स्रोत है। अर्थात् अंतिम रूप से सर्वोच्च शक्ति (आदेश व निर्देश देना) जनता में ही वास करती है जिसे वह समय-समय पर मताधिकार के माध्यम से व्यक्त करती रहती है।

2. संविधान के आदर्शों एवं लक्ष्यों की परिचारिका - प्रस्तावना बताती

Scanned with CamScanner

~~Foreign Policy~~

है कि संविधान का उद्देश्य न्याय, समानता, स्वतंत्रता, राष्ट्र की एकता व अखंडता, बंधुत्व इत्यादि स्थापित करना है। अर्थात् भारत की जनता ने एक ऐसे राज्य की स्थापना का निर्णय किया है जिसका एकमात्र उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्र की एकता व अखंडता स्थापित करना है। यद्यपि प्रस्तावना में 'लोक कल्याण' शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है, फिर भी इसका महत्व कम नहीं होता, क्योंकि प्रस्तावना में वर्णित अन्य उद्देश्यों की पूर्ति होने से लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना स्वयं हो जायेगी।

3. भारत संघ की संप्रभुता तथा उसके लोकतंत्रात्मक स्वरूप की आधारशिला - प्रस्तावना में घोषित किया गया है कि भारत की जनता ने इस संविधान द्वारा एक 'संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य' की स्थापना की है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य है उस सर्वोच्च शक्ति से है, जो पूर्ण और अपने क्षेत्र में अनियंत्रित होती है। इसका अर्थ है कि भारत एक ऐसी राजनीतिक सत्ता है जिसपर भारत के सीमा अंतर्गत कोई दूसरी सत्ता नहीं है। उसकी सीमा में उसकी इच्छा ही सर्वोपरि है। यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आंतरिक पहलू है। इसका दूसरा पहलू यह है कि राज्य बाह्य मामले में भी स्वतंत्र और सार्वभौम है। अर्थात् भारत अपने आंतरिक प्रशासन और ~~बाह्य मामले~~ वैदेशिक नीति में किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है

प्रस्तावना द्वारा भारत को एक लोकतंत्रात्मक राज्य घोषित किया गया है। लोकतंत्रात्मक शब्द का प्रयोग प्रतिनिधात्मक प्रजातंत्र के अर्थ में किया गया है। लोकतंत्रात्मक का अर्थ यह है कि भारत के शासन प्रबंध में भारतीय जनता का हिस्सा रहेगा और उसकी इच्छा द्वारा ही सरकार का संचालन होगा। जन्म, धर्म, जाति, रंग, लिंग इत्यादि के भेदभाव के बिना सभी व्यस्क नागरिकों को प्रतिनिधि चुनने अथवा चुने जाने का अधिकार होगा। इस प्रकार 'लोकतंत्रात्मक' शब्द के प्रयोग द्वारा प्रस्तावना सर्वांगीण रूप में एक प्रजातंत्र के स्थापना की घोषणा करती है।

प्रस्तावना द्वारा भारत एक गणराज्य घोषित किया गया है। सामान्य अर्थ में गणराज्य राजतंत्र का ~~विपरीत~~ विपरीतार्थक

Scanned with CamScanner

है। गणराज्य से तात्पर्य उस शासन व्यवस्था से है जिसमें गण द्वारा शासन होता है। इसके अनुसार भारत में किसी वंश क्रम के अनुसार चुने गए राजा अथवा किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं है। व्यापक अर्थ में गणराज्य से तात्पर्य यह है कि राज्य सभी नागरिकों को योग्यता रखने पर सभी छोटे-बड़े पदों तक पहुँचने का अधिकार देता है। भारत गणराज्य का एक अर्थ यह भी है कि राज्य प्रमुख (राष्ट्रपति) का निर्णय चुनाव के द्वारा होता है न कि वंश परंपरा के आधार पर।

4) समाजवादी राज्य – संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट है कि भारत एक समाजवादी राज्य है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश में बनी नई सरकार ने 'समाज का समाजवादी प्रतिमान' (Socialistic pattern of society) की स्थापना की घोषणा की। 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़कर स्पष्ट कर दिया गया कि भारत एक समाजवादी राज्य है।

5) पंथनिरपेक्षता की घोषणा – प्रस्तावना के द्वारा भारत को एक पंथनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। हालांकि संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है लेकिन इससे भारत राज्य की पंथ निरपेक्ष छवि अस्पष्ट थी। 42 वें संविधान-संशोधन अधिनियम, 1976 के द्वारा प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष (धर्मनिरपेक्षता) शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया।

अंतिम निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि प्रस्तावना में संविधान के लक्ष्यों एवं आदर्शों का समुचित विवरण है फिर भी प्रस्तावना को बहुत सीमित वैधानिक मान्यता प्राप्त है। जब कभी संविधान के किसी अनुच्छेद (Article) का अर्थ स्पष्ट नहीं रहता, तब न्यायपालिका प्रस्तावना की शरण लेते हैं। अतः प्रस्तावना संविधान के महत्वपूर्ण अंगों में से एक है।

—x—

Scanned with CamScanner